न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा, I.A.S.

प्रकरण संख्या –107/2013 (अपील)

1. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत
2. महेन्द्र सिंह पुत्र सुगन सिंह जाति राजपूत निवासीगण खेडा जगपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलाण्ट.

बनाम

1. गिर्राज सिंह पुत्र तेजराज सिंह जाति राजपूत निवासी गेंता तहसील पीपल्दा जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा (राज0)

–––रेस्पोडेन्ट.

अपील अण्डर सेक्शन 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध नामातकरण संख्या 44 नायब तहसीलदार मण्डाना आदेश कमांक **L.R./2013/156** दिनांक 26.2.2013

उपस्थिति

1. श्री दीनानाथ गालव, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नरेन्द्र कुमार गुप्ता, अभिभाषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक– 19.02.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, मण्डाना, तहसील लाडपुरा ने नामा0 सं0 44 ग्राम भीमपुरा में दिनांक 28.02.2013 को आदेश पारित किया कि–" न्यायालय आदेश के मुताबिक नायब तहसीलदार के आदेश कमांक/एलआर/2013/156 दिनांक 26.2.2013 से नामा0 सं0 44 दिनांक 28.2.2013 से खाता गिर्राज सिंह पुत्र तेजराज सिंह जाति राजपूत नि0 गेंता तहसील पीपल्दा के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई ।

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 20.05.2013 को लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश कर कथन किया है कि ग्राम भीमपुरा की खसरा नम्बर 8 रकबा 15 बीघा भूमि जिसके हाल खसरा नम्बर 7/2 रकबा 2.42 हे0 भूमि का आवंटन दिनांक 20.6.1981 को श्रीमति सूरज बाई पत्नि सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी खेडा जगपुरा को कीमतन आवंटित की गई थी, जिसकी कीमत व ब्याज की राशि जमा राज करवा दी गई थी तथा आवंटी द्वारा 2.00 हे0 भूमि पर ही काश्त होने से आदेश कमांक/पी.ए./1193–94 दिनांक 30.7.2005 से श्रीमति सूरज बाई पत्नि सुगन सिंह को खातेदारी दी गई थी तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये गये तथा नामा0 नम्बर 28 दिनांक 31.12.2005 से ख.नं. 7/2 की रकबा 2.00 हे0 भूमि पर श्रीमति सूरज बाई बेवा सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी खेडा जगपुरा के खातेदारी दर्ज हुई । ख0नं0 7/2 रकबा 2.42 हे0 का विभाजन कर एक नया खसरा नम्बर 7/2 मी. रकबा 1.60 हे0 व खसरा नं0 7/2 रकबा 0.42 हे0 तथा खसरा नम्बर 15/7 रकबा 0.40 हे0 डाला गया तथा विभाजन कर डाले गये नये खसरा नम्बर का नक्शा ट्रेस में विभाजन निर्धारित खसरा नम्बर 7/2 रकबा 0.42 हे0 पर खातेदार श्रीमति सूरज बाई बेवा सुगन सिंह जाति राजपूत निवासी खेडा जगपुरा के खाते दर्ज की गई । खातेदार श्रीमति सूरज बाई का देहान्त दिनांक 7.4.2009 को होने के पश्चात

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

नामान्तकरण संख्या 34 नि.दिनांक 14.7.2010 से मुताबिक निर्णय विरासत से मृतक सूरज बाई के स्थान पर ख.नं. 7/2 रकबा 0.42 हे0 भूमि अपीलान्टस के नाम खातेदार दर्ज करने की स्वीकृति हुई तथा जमाबंदी सम्वत 2065–68 में अपीलान्टस के नाम नामान्तकरण संख्या 34 से खातेदार दर्ज करने की स्वीकृति है किन्तु अधिनस्थ नायब तहसीलदार साहब मण्डाना द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना व कब्जे की जांच किये बिना नामा0 सं0 44 आदेश क्रमांक/एल आर/2013/156 दिनांक 26.2.2013 से उक्त भूमि ख.नं. 7/2 की रकबा 0.42 हे0 भूमि रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के नाम दर्ज कर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया । अधिनस्थ नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 44 आदेश क्रमांक/एल आर/2013/156 दिनांक 26.2.2013 ग्राम भीमपुरा वस्तु स्थिति, विधान एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । नायब तहसीलदार मण्डाना के समक्ष रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने नामान्तकरण खोले जाने हेतु आवेदन ही नहीं किया गया, था उसके बावजूद नामा0 खोल दिया गया तथा नामा0 संख्या 44 दिनांक 28.2.2013 न्यायालय आदेश में अपीलान्टस को सुना ही नहीं गया है और ना ही कब्जे से सम्बन्धित जांच की गई है । ना पटवारी रिपोर्ट मंगवाई गई है । रेस्पो0 क्रम 1 का अपील विषय कृषि भूमि पर न तो कब्जा है और न ही कोई अधिकार है । नामान्तकरण संख्या 34 नि. दि. 14.7.2010 विरासत से मृतक सूरज बाई के स्थान पर निर्णय विरासत दिनांक 14.7.2010 से समस्त भूमि खसरा संख्या 7/2 रकबा 0.42 हे0 का अपीलान्टस के पक्ष में नामान्तकरण खोला गया है । तथा उक्त कृषि भूमि पर अपीलान्टस का ही कब्जा काश्त अधिकार है तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा नामान्तकरण संख्या 34 नि.दि0 14.07.2010 को आज तक भी चैलेन्ज नहीं किया गया है और न ही सम्मानीय न्यायालय से निरस्त किये जाने का कोई आदेश प्राप्त किया है । अपीलान्टस को सर्व प्रथम उक्त नामान्तकरण की जानकारी दिनांक 22.4.2013 को एकल खिड़की से जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई है तब अपीलान्टस ने नामान्तकरण की प्रमाणित प्रतिलिपि नायब तहसीलदार मण्डाना से प्राप्त करने के लिए आवेदन किया तथा नायब तहसीलदार मण्डाना से दिनांक 3.5.2013 को प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होने पर अपील प्रस्तुत की गई है । नकल प्राप्ति दिनांक से अपील अवधि मध्य पेश है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 44 नि.दि. 28.2.2013 आदेश नायब तहसीलदार मण्डाना आदेश क्रमांक एल.आर./2013/156 दिनांक 26.2.2013 को निरस्त किया जावें तथा नामान्तकरण संख्या 34 नि.दि. 14.7.2010 विरासत से मुताबिक निर्णय विरासत 14.7.2010 को बहाल किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

4. अधिनस्थ नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 44 आदेश क्रमांक/एल आर/2013/156 दिनांक 26.2.2013 ग्राम भीमपुरा वस्तु स्थिति, विधान एवं प्रकिया के विपरीत होने से निरस्त योग्य है । नायब तहसीलदार मण्डाना के समक्ष रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने नामान्तकरण खोले जाने हेतु आवेदन ही नहीं किया गया था, उसके बावजूद नामा0 खोल दिया गया तथा नामा0 संख्या 44 दिनांक 28.2.2013 न्यायालय आदेश में अपीलान्टस को सुना ही नहीं गया है और ना ही कब्जे से सम्बन्धित जांच की गई है । ना पटवारी रिपोर्ट मंगवाई गई है । रेस्पो0 क्रम 1 का अपील विषय कृषि भूमि पर न तो कब्जा है और न ही कोई अधिकार है । नामान्तकरण संख्या 34 नि. दि. 14.7.2010 विरासत से मृतक सूरज बाई के स्थान पर निर्णय विरासत दिनांक 14.7.2010 से समस्त भूमि खसरा संख्या 7/2 रकबा 0.42 हे0 का अपीलान्टस के पक्ष में नामान्तकरण खोला गया है । तथा उक्त कृषि भूमि पर अपीलान्टस का ही कब्जा काश्त अधिकार है तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा नामान्तकरण संख्या 34 नि.दि0 14.07.2010 को आज तक भी चैलेन्ज नहीं किया गया है और न ही सम्मानीय न्यायालय से निरस्त किये जाने का कोई आदेश प्राप्त

जिला कलक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

किया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामा0 सं0 44 नि.दि. 28.2.2013 आदेश नायब तहसीलदार मण्डाना आदेश कमांक एल.आर. /2013/156 दिनांक 26.2.2013 को निरस्त किया जावें तथा नामान्तकरण संख्या 34 नि.दि. 14.7.2010 विरासत से मुताबिक निर्णय विरासत 14.7.2010 को बहाल किया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश कमांक/एल आर/2013/156 दिनांक 26.2.2013 जारी कर नामान्तकरण संख्या 44 दिनांक 28.2.2013 स्वीकृत किया गया है, उसमें कोई अनियमितता नहीं है, क्योंकि अधिनस्थ नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग इटावा जिला कोटा के निर्णय दिनांक 9.6.2010 एवं दिनांक 30.6.2010 की पालना में विधिक राय ली जाकर ग्राम भीमपुरा के ख.नं. 2,5, व 7 में आवंटितशुदा सीलिंग भूमि को वर्तमान खातेदारान/गैर खातेदारा के स्थान पर मूल खातेदारान के नाम दर्ज की गई है, उसी अनुरूप जैर अपील नामा0 सं0 44 दिनांक 28.2.2013 स्वीकृत किया गया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । यह अपील नायब तहसीलदार मण्डाना के आदेश कमांक/एल आर/2013/156 दिनांक 26.2.2013 से स्वीकृत नामा0 सं0 44 दिनांक 28.2.2013 के विरूद्व दिनांक 20.5.2013 को पेश की गई है । विलम्ब को माफ करने हेतु लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विलम्ब का कारण उक्त नामा0 की प्रथम जानकारी दिनांक 22.4.2013 को जमाबंदी की नकल लेने का आवेदन पेश कर दिनांक 3.5.2013 को नकल प्राप्त होने पर होना अंकित किया है, न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

7. अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डाना द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी सीलिंग इटावा जिला कोटा के निर्णय दिनांक 9.6.2010 एवं दिनांक 30.6.2010 की पालना में आदेश कमांक/एल आर/2013/156 दिनांक 26.2.2013 जारी कर नामा0 सं0 44 दिनांक 28.2.2013 स्वीकृत किया गया । नामान्तकरण कोर्ट के आदेश से स्वीकृत किया गया है । इस हेतु हम जैर अपील नामान्तकरण की प्रकिया में कोई त्रुटि नहीं पाते है, हक व अधिकार तो मूल वाद में ही तय होने है । इस हेतु अपील स्वीकार योग्य नहीं है ।

8. अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधिनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 44 दिनांक 28.02.2013 ग्राम भीमपुरा तहसील लाडपुरा यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 19.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओम कसेरा)
जिला कलक्टर कोटा

Scanned by CamScanner